शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध/द्वारा फैक्स

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–।

संख्याःअट्ठारह–एसआई(लेखा)–272–2015 दिनांकः दिसम्बर।7, 2015

सेवा में,

1– समस्त विभागाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

2– समस्त कार्यालयाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

विषय : पुलिस उप निरीक्षक (लेखा) की सम्मिलित अनन्तिम वरिष्ठता सूची का प्रख्यापन।

कृपया अवगत कराना है कि दिनांकः 23.07.2015 को प्रख्यापित "उ0प्र0 पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली–2015" में निहित प्रावधानों के अनुसार पुलिस उप निरीक्षक (लेखा) के पद पर नियुक्त कार्मिकों की पदोन्नति की कार्यवाही वरिष्ठता के आधार पर अनुपयुक्तों को छोड़कर की जानी है। अतः पुलिस उप निरीक्षक (लेखा) की अन्तिम निर्विवाद वरिष्ठता सूची तैयार करने हेतु पुलिस उप निरीक्षक (लेखा) की अनन्तिम **(Tentative)** वरिष्ठता सूची तैयार की गयी है, जो **http://uppolice.gov.in में 'Karmik' folder में Internet पर प्रदर्शित की जा रही है। कृपया अपने सिस्टम/कम्प्यूटर पर Download करके"** अपने स्तर से सम्बन्धित कर्मियों को सूचित करावे तथा कृत कार्यवाही से पुलिस मुख्यालय को अवगत करायें।

2– अपने कार्यालय में नियुक्त उक्त कर्मियों के बारे में अनन्तिम वरिष्ठता सूची में अंकित सूचनाओं का परीक्षण अपने मुख्यालय/कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों से करा लें तथा यदि कोई त्रुटि पायी जाती है तो उसके बारे में साक्ष्य सहित पुलिस मुख्यालय को अवगत करायें, जिससे त्रुटियों को सुधार कर अन्तिम रूप देते हुए निर्विवाद अन्तिम वरिष्ठता सूची निर्गत की जा सके।

3– अतः कृपया आप पुलिस की उक्त वेबसाइड पर अपलोड सूची में अंकित अपने कार्यालय में नियुक्त सम्बन्धित कर्मियों को तत्काल सूचित करते हुए निर्देशित करें कि उक्त अपलोड की गयी सूची में अंकित विवरण के सम्बन्ध में किसी कर्मी को कोई आपत्ति हो तो वे उसके सम्बन्ध में अपना प्रत्यावेदन उपलब्ध अभिलेखों आदि की छायाप्रतियों सहित दिनांक **24.12.2015** तक आपके माध्यम से प्रस्तुत कर सकते है। कर्मी के प्राप्त प्रत्यावेदन का उनके सेवाभिलेखों के आलोक में अपने स्तर पर परीक्षण भी कर लिया जाये तथा अपनी टिप्पणी/संस्तुति सहित **दिनांक 25–12–2015** तक प्रत्येक दशा में पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि उस पर नियमानुसार विचारोपरान्त यथोचित निर्णय लेकर वरिष्ठता सूची को अन्तिम रूप दिया जा सके।

4– यह भी स्पष्ट करना है कि सामान्य स्थिति में **दिनांक 25–12–2015** के बाद प्राप्त प्रत्यावेदनों/टिप्पणी पर विचार नहीं किया जायेगा तथा यह समझा जायेगा कि तैयार की गयी अनन्तिम सम्मिलित वरिष्ठता सूची पर आपत्ति नहीं है एवं अनन्तिम सम्मिलित वरिष्ठता सूची को अन्तिम रूप प्रदान कर दिया जायेगा। अतः **"इस महत्वपूर्ण विषय को गंभीरता प्रदान किया जाय"।**

5– यदि आपके कार्यालय में नियुक्त कोई पुलिस उप निरीक्षक (लेखा) अन्यत्र स्थानान्तरित/सम्बद्ध हो गया हो या प्रतिनियुक्ति पर हो तो उसे भी अपने स्तर से तैयार की गयी वरिष्ठता के बारे में अवगत कराते हुये कृत कार्यवाही से पुलिस मुख्यालय को अवगत करायें।

6— उल्लेखनीय है कि अनन्तिम वरिष्ठता सूची के बाद निर्गत होने वाले अन्तिम वरिष्ठता सूची में आंशिक रूप से ही संशोधन की सम्भावना होगी। अतः अनुरोध है कि कृपया अनन्तिम वरिष्ठता सूची के **<u>क्रमॉक–19 तक के पुलिस उप निरीक्षक (लेखा) के सेवा</u> अभिलेख तत्काल अद्यावधिक कराकर निम्न प्रकार अग्रेतर कार्यवाही की जायः—**

(1)— विगत में यह देखने में आया है कि अधिकान्श कार्मिकों की चरित्र पंजिकाओं में वार्षिक गोपनीय मन्तव्य पूर्ण नहीं पाये गये व 02 या उससे अधिक वर्षों के वार्षिक मन्तव्य या तो एक साथ अंकित कर दिये गये है अथवा किसी एक वर्ष की प्रविष्टि के ऊपर अन्य हस्तलिपि/ओवर राईटिंग करके पूर्व अथवा पश्चात् के वर्ष अंकित/परिवर्तित कर दिये गये हैं। उक्त के अतिरिक्त कतिपय कार्मिकों के विरूद्ध पंजीकृत अभियोगों में आरोप–पत्र मा0 न्यायालय में प्रस्तुत करने एवं उसकी अद्यतन स्थिति अंकित न होने के कारण समिति द्वारा सुसंगत निर्णय लिया जाना सम्भव न होने के कारण प्रकरण अविचारित/स्थगित रखने पड़ते है। कृपया इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि उक्त बिन्दु को दृष्टिगत रखते हुये पूर्ण एवं अद्यावधिक चरित्र पंजिकायें/विवरण उपलब्ध कराया जाये।

(2)— वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति हेतु पात्रता क्षेत्र में आने वाले कार्मिकों की चरित्र पजिकाओ के वार्षिक मंतव्य, सत्यनिष्ठा पूर्ण कराने, दण्ड, अपील एवं रिवीजन, अभियोग आदि की अद्यावधिक प्रविष्टियां/सूचना अंकित करने के सम्बन्ध में पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के परिपत्र संख्याःडीजी–परिपत्र–49/2013 दिनॉक 29–08–2013 द्वारा समुचित मार्ग–दर्शन निर्गत किया गया है। **(परिपत्र दिनांक 29–08–2013 की प्रति संलग्न है।)**

(3)— भर्ती/चयन वर्ष–2014 की रिक्तियों के सापेक्ष पदोन्नति हेतु पात्रता सूची में **<u>अनन्तिम वरिष्ठता सूची के क्रमॉक–19 तक</u>** के पुलिस उप निरीक्षक (लेखा) का विवरण **<u>बोर्ड प्रपत्र–16</u> में वर्ष–2004 से 2014 तक के सेवा अभिलेखों की प्रविष्टियों को अंकित किया जायेगा तथा सेवा अवधि की गणना हेतु कट–आफ–डेट 01–07–2015 होगी।** बोर्ड प्रपत्र 16 को भरने हेतु दिशा–निर्देश बोर्ड की वेबसाइट www.uppbpb.gov.in के होम पेज पर उपलब्ध लिंक "प्रोन्नति से सम्बन्धित महत्वपूर्ण जानकारियॉ" पर लिंक करने पर "प्रोन्नति के लिये अर्ह अभ्यर्थियों के सेवा अभिलेखों के प्रारूप" के अन्तर्गत उपलब्ध हैं और वहॉ से डाउन लोड किये जा सकते हैं। **<u>(बोर्ड प्रपत्र–16 एवं भरने हेतु दिशा–निर्देश की प्रति संलग्न है।)</u>**

(4)— **<u>बोर्ड प्रपत्र–16 में सूचनायें</u>** ए–3 **<u>साइज के पेपर (29.7X42.0 CM) पर तैयार किया जायेगा।</u>** यदि किसी जनपद/इकाई द्वारा अन्य साइज के पेपर में बोर्ड प्रपत्र–16 में सूचनायें पुलिस मुख्यालय में लायी जाती है तो वह किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होगी।

(5)— कतिपय पुलिस उप निरीक्षक (लेखा) के विरूद्ध अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन अथवा नियम–14(1) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही लम्बित रहती है, किन्तु उसका उल्लेख सेवा अभिलेख मे न होने अथवा जॉच एजेन्सी द्वारा "ओवर लुक" हो जाने के कारण उनके सन्बन्ध में सही तथ्य चयन समिति के

समक्ष प्रस्तुत नहीं हो पाते। अतः इस सम्बन्ध मे अनन्तिम वरिष्ठता सूची **के कमॉक–19 तक** के पुलिस उपनिरीक्षक (लेखा) से स्वघोषित घोषणा–पत्र इस आशय का ले लिया जाय कि उनके विरूद्ध कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही लम्बित है। यदि आपराधिक अभियोग/विभागीय कार्यवाही लम्बित है तो उसका पूर्ण विवरण स्वघोषणा–पत्र में अंकित करा लिया जाय। **(स्वघोषणा–पत्र का प्रारूप संलग्न है।)**

(6)– यदि स्वघोषणा–पत्र में सम्बन्धित पुलिस उप निरीक्षक (लेखा) द्वारा कोई अभियोग/विभागीय कार्यवाही लम्बित दर्शायी जाती है, तो उसकी वर्तमान स्थिति सम्बन्धित जनपद/जॉच एजेन्सी से प्राप्त कर उसका भी उल्लेख बोर्ड प्रपत्र–16 के निर्धारित कालम में किया जायेगा। साथ ही **सभी** पुलिस उप निरीक्षक (लेखा) **के स्वघोषित घोषणा–पत्र भी बोर्ड प्रपत्र–16 के साथ संलग्नकर उपलब्ध कराया जायेगा।**

(7) समस्त जनपद/इकाई द्वारा बोर्ड प्रपत्र पर तैयार किये गये सूचना पर सम्बन्धित लिपिक, प्रधान लिपिक, क्षेत्राधिकारी कार्यालय, ज्येष्ठ/पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उप महानिरीक्षक के हस्ताक्षर नाम एवं मोहर सहित अंकित किया जाय। इसी तरह परिक्षेत्रीय एवं जोनल कार्यालय में नियुक्त कर्मियों के सम्बन्ध में बोर्ड प्रपत्र पर तैयार किये गये सूचना पर सम्बन्धित लिपिक, प्रधान लिपिक एवं संबंधित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर नाम एवं मोहर सहित अंकित किया जाय।

(8)– सम्बन्धित पुलिस उप निरीक्षक (लेखा) की चरित्रपंजिकायें एवं **बोर्ड प्रपत्र–16 में सूचनायें (ए–3 साइज पेपर पर) व स्वघोषित घोषणा–पत्र दोनों 03–03 प्रतियों में एवं उसकी साफ्ट प्रति की सी0डी0** लेकर सम्बन्धित सहायक पुलिस मुख्यालय के अनुभाग–18 में दिनांकः 20.12.2015 तक उपस्थित होकर चरित्रपंजिकाओं/सूचनाओं का मिलान कराकर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

7– प्रकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण है, अतः अनुरोध है कि अपेक्षित कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करायी जाय। प्रकरण में सर्वोच्च वरीयता अपेक्षित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार(अनन्तिम वरिष्ठता सूची)

17/11

(भगवान स्वरूप)
पुलिस उप महानिरीक्षक,स्थापना,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर पुलिस महानिदेशक (कार्मिक) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2 अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3– अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग,उ0प्र0, लखनऊ।
4– अपर पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5– अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
6– पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

7— पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिदेशक के सहायक, उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या तथा दिनांक वही।

प्रतिलिपि : पुलिस उप–महानिरीक्षक, तकनीकी सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया संलग्न पुलिस उप निरीक्षक(लेखा) की सम्मिलित अनन्तिम वरिष्ठता सूची को पुलिस की बेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करें।

———

स्वघोषणा–पत्र

मैं शपथकर्ता (नाम / पदनाम व पीएनओ)————————————————————————————पुत्र ————————————निवासी——————————————थाना——————————जनपद————————————— वर्तमान में(जनपद / इकाई)——————————————————————————————नियुक्त हूँ तथा प्रशिक्षण सत्र——————————————का पुलिस उप निरीक्षक(लेखा) हूँ। मैं प्रमाणित करता हूँ किः–

(1) मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित / प्रचलित नहीं है और न ही कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।

(2) मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत जनपद / इकाई——————————में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांकः——————को आरोप–पत्र दिया गया है।

(3) मेरे विरूद्ध मु0अ0सं0——————————धारा————————————————————थाना——————————

जनपद————————में लम्बित है, जिसमें दिनांकः————————को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी——————————द्वारा आरोप–पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में——————————स्तर पर चल रहा है।

2– मेरे द्वारा प्रस्तुत घोषणा–पत्र में अंकित तथ्य यदि असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरे विरूद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यह घोषणा–पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर
नाम / पदनाम / पीएनओ
नियुक्ति स्थान–
दिनांकः

प्रमाणित
जनपद / इकाई के प्रभारी

नाम / पदनाम की मुहर

नोट–स्वघोषणा–पत्र के प्रस्तर–1 के उपप्रस्तर–(1), (2) व ((3) में से जो लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (x) दिया जाय।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

संख्या-डीजी-परिपत्र- 41 /2013

दिनांक : लखनऊ : अगस्त 29 ,2013

सेवा में,

1-समस्त पुलिस महानिरीक्षक,जोन्स, उत्तर प्रदेश ।

2-समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र, उत्तर प्रदेश

3-समस्त जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/शाखा/इकाई प्रभारी,

उत्तर प्रदेश ।

विषयः- कान्स0ना0पु0 से हेड कान्स0ना0पु0 के पद पर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति प्रदान किये जाने के संबंध में वर्ष 1997 तक भर्ती पुलिस कर्मियों की चरित्र पंजिकाओं/ सेवा अभिलेखों को त्रुटिरहित उपलब्ध कराये जाने के संबंध में

ज्ञातव्य है कि आरक्षी से मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर वरिष्ठता के आधार पर अनुपयुक्तों को छोड़ते हुए, प्रोन्नति प्रदान किये जाने की प्रकिया को प्राथमिकता के आधार पर सम्पन्न कराया जाना है। उपरोक्तानुसार वरिष्ठता के अधार पर अनुपयुक्तों को छोड़ते हुए पदोन्नति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित पुलिस कर्मियों की चरित्र पंजिकाओं का अद्यावधिक होना अपरिहार्य है । अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण सूचनाओं के परिणामस्वरूप इस बात की सम्भावना रहती है कि उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कुछ कर्मियों के संबंध में प्रोन्नति प्रदान किये जाने पर विचार नहीं किया जा सकता अथवा कुछ कर्मियों की पदोन्नति के संबंध में चयन समिति की संस्तुति बन्द लिफाफे में अकारण रखी ही जाती है। आप सभी सहमत होंगे कि यदि प्रोन्नति के पात्र होते हुये भी किसी कर्मी को प्रोन्नति नही मिलती है अथवा विलम्ब से मिलती है तो इससे उसके मनोबल पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

2- उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत वर्तमान में आरक्षी से मुख्य आरक्षी के पदों पर प्रोन्नति प्रकिया के त्रुटिरहित निष्पादन के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि सभी सम्बन्धित पुलिस कर्मियों की चरित्र पंजिकाओं का गहनता से पुनरीक्षण करते हुए यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि सभी कर्मियों की चरित्र पंजिकाओं की सभी प्रविष्टि अद्यावधिक कर दी गई है तथा साथ ही नामिनल रोल सिस्टम में भी सभी प्रविष्टियाँ फीड कर दी गई हैं।

3- अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि जनपद/इकाई स्तर पर अपर पुलिस अधीक्षक प्रभारी कार्यालय के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर दिया जाये तथा उसमें प्रधान लिपिक एवं सम्बन्धित चरित्र पंजिका लिपिक तथा अन्य उपयुक्त कम्प्यूटर कार्य के दक्ष कर्मचारियों को नियुक्त कर निम्नवत् सभी बिन्दुओं पर वांछित अद्यावधिक सूचनाएं प्राथमिकता के आधार पर चरित्र पंजिकाओं में तथा नामिनल रोल सिस्टम में अंकित कराना सुनिश्चित करें :-

वार्षिक मन्तव्य-

1- कर्मियों के सेवा अभिलेखों में सम्पूर्ण सेवाकाल के वार्षिक मन्तव्यों की प्रविष्टि करना।

2- कर्मियों के प्रतिकूल मन्तव्य अंकित किये जाने का नोटिस निर्गत करने की तिथि का उल्लेख चरित्र पंजिका में अंकित किया जाय, तथा यदि नोटिस न दिया गया हो तो तत्काल नोटिस निर्गत कर अग्रिम कार्यवाही पूर्ण करायें। यदि इस सम्बन्ध में मा0 न्यायालय या मा0 अधिकरण द्वारा कोई स्थगनादेश अथवा निर्णय दिया गया हो तो उसका अंकन चरित्र पंजिका में करते हुए इसकी प्रमाणित प्रति चरित्र पंजिका में चस्पा की जाय।

PHQ ALD

3–कर्मियों के वार्षिक मनतव्यों के कतिपय कारणों से समय से अंकित न होने की दशा में सामान्य होने की मोहर लगाकर प्रेषित किया जाता है जो उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा मान्य नही है। अतः इस प्रकार सामान्य की मोहर लगाकर चरित्र पंजिका नहीं प्रेषित किया जाये।

4– कर्मियों के वार्षिक मनतव्य न लिखे होने की दशा में शासनादेश संख्या: 36/8/1976–कार्मिक–2 दिनांक 30 अप्रैल, 1991 के अनुसार ब्लैंक की मोहर लगाकर वार्षिक मनतव्य प्रेषित किये जाते हैं। दो वर्ष से अधिक वर्षो में ब्लैंक की मोहर लगाकर प्रेषित करना नही मान्य होगा। अतः दो वर्षो से ज्यादा में ब्लैंक की मोहर न लगाई जाय।

5–यदि अपरिहार्य कारणों से किसी वर्ष के वार्षिक मन्तव्य न लिखा जा पा रहा तो उस वर्ष के सम्बन्ध मे निम्न 07 बिन्दुओं पर सूचना चरित्र पंजिका में अंकित किया जाये:–

(1) उपरोक्त वर्षो में उक्त कर्मी की सेवा की निरन्तरता का प्रमाण पत्र। इस सम्बन्ध में यह प्रमाणित करना है कि उपरोक्त वर्षों में यह निरन्तर सेवा में रहे हैं या सेवा से विरत अथवा गैरहाजिर तो नहीं रहे हैं।

(2) उपरोक्त वर्षो मे उक्त कर्मियों को कोई प्रतिकूल तथ्य, सत्यनिष्ठा, निलम्बन एवं 14(1), 14(2) के अन्तर्गत कोई दण्ड मिला हो या मिले हो तो उनका विवरण तथा जिस घटना के सम्बन्ध मे दण्ड मिला हो तो उस घटना का दिनांक। जैसे–किसी कर्मी को 2005 की घटना के लिये वर्ष–2008 में दण्ड मिला हो तो दोनो दिनांक अंकित करते हुये यह स्पष्ट किया जाये कि वर्ष 2005 की घटना के लिये वर्ष–2008 मे दण्ड मिला है।

(3) उपरोक्त वर्षों में उक्त कर्मी के विरुद्ध कोई मुकदमा पंजीकृत तो नहीं हुआ है। यदि पंजीकृत हुआ है तो उस मुकदमें की अभी वर्तमान में क्या स्थिति है (क्या वह विवेचनाधीन है, क्या अन्तिम रिपोर्ट लगी है? क्या इसमें आरोप पत्र निर्गत होकर माननीय न्यायालय में विचाराधीन है? या विचारण होकर ट्रायल पर आया है अथवा माननीय न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया है या सजा की गई है) स्पष्ट रूप से अंकित करें तथा मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश अथवा निर्णय की प्रमाणित छायाप्रति भी प्राप्त कर चरित्र पंजिका में चस्पा की जाय।

सत्यनिष्ठा–

कर्मियों की सत्यनिष्ठा रोके जाने का नोटिस निर्गत करने की तिथि का उल्लेख चरित्र पंजिका में अंकित किया जाय तथा यदि नोटिस न दिया गया हो तो तत्काल नोटिस निर्गत कर अग्रिम कार्यवाही पूर्ण करायें। यदि इस सम्बन्ध में मा0 न्यायालय या मा0 अधिकरण द्वारा कोई स्थगनादेश अथवा निर्णय दिया गया हो तो उसका अंकन चरित्र पंजिका करते हुए इसकी प्रमाणित प्रति चरित्र पंजिका में चस्पा की जाय।

दण्ड, अपील एवं रिवीजन –

1–कर्मियों को 14(1) अथवा 14(2) के अन्तर्गत प्रदत्त दण्ड का उद्धरण चरित्र पंजिका में अंकित करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि जिस घटना के संबंध में दण्ड प्रदान किया गया है उसके घटित होने की तिथि अथवा अवधि उद्धरण में अवश्य अंकित हो।

2–कर्मियों को दिये गये दण्ड के बिरूद्ध योजित अपील तथा रिवीजन में पारित निर्णय अथवा उनके विचाराधीन होने का स्पष्ट अंकन किया जाये। यदि अपील अथवा रिवीजन में पारित आदेश के कारण दण्ड विलोपित किया जाता है तो उसको राजपत्रित अधिकारी द्वारा अवश्य प्रमाणित किया गया हो।

3–कर्मियों को प्रदत्त दण्ड के बिरूद्ध यदि मा0 लोक सेवा अधिकरण अथवा मा0 न्यायालय द्वारा दण्ड के संबंध में पारित स्थगनादेश अथवा निर्णय का स्पष्ट उल्लेख उसकी चरित्र पंजिका में किया जाय तथा आदेश की प्रति चरित्र पंजिका में चस्पा की जाय।

निलम्बन–

1–कर्मियों के निलम्बन व उनके निस्तारण का स्पष्ट उल्लेख चरित्र पंजिका मे किया जाये ।

2–कई कर्मियों की चरित्र पंजिकाओं में उनके विरूद्ध आपराधिक अभियोग पंजीकृत होने के कारण निलम्बित किया जाना अंकित किया जाता है परन्तु उक्त अभियोग के सम्बन्ध में अन्य कोई विवरण चरित्र पंजिका में उपलब्ध नहीं होता है। अतः यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि यदि कोई कर्मी अभियोग पंजीकृत होने के कारण वर्तमान में अथवा पूर्व में निलम्बित किया गया है तो चरित्र पंजिका के किसी खाली पृष्ठ पर उस अभियोग के सम्बन्ध में अद्यावधिक सूचना अवश्य अंकित की जाय और चरित्र पंजिका में निलम्बन के विवरण के सम्मुख अभियोग की अद्यावधिक सूचना से सम्बन्धित पृष्ठ संख्या को अंकित कर दिया जाय।

अपराध–

कर्मियों के सेवा अभिलेखों में उनके विरूद्ध पंजीकृत सभी अभियोगों का स्पष्ट अंकन किया जाय। विशेष रूप से यह स्पष्ट किया जाये कि क्या पंजीकृत अभियोग मे आरोप पत्र प्रेषित किया गया है अथवा नहीं, यदि आरोप पत्र प्रेषित है तो आरोप पत्र प्रेषित करने की तिथि तथा आरोप पत्र संख्या को चरित्र पंजिका में अंकित किया जाये। यदि अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गई है तो उसकी संख्या तथा दिनांक एवं मा0 न्यायालय द्वारा स्वीकृत करने की तिथि तथा उस आदेश की प्रमाणित छायाप्रति चरित्र पंजिका में अंकित और चस्पा की जाय। मा0 न्यायालय में विचाराधीन अभियोग मे यदि कोई कर्मी दोषमुक्त किया गया हो तो उस आदेश की प्रमाणित प्रति भी चरित्र पंजिका मे संलग्न की जाये व उसका स्पष्ट अंकन चरित्र पंजिका में किया जाये। यदि मा0 न्यायालय मे विचाराधीन अभियोग मे कोई कर्मी को दोष सिद्व किया गया हो तो उसका भी स्पष्ट अंकन किया जाय तथा मा0 न्यायालय की आदेश की प्रमाणित प्रति भी चरित्र पंजिका मे चस्पा कर दी जाये। सम्प्रति कर्मियों के विरूद्ध सभी अभियोगों की अद्यतन स्थिति चरित्र पंजिका में अंकित की जाये जिससे कर्मियों के सम्बन्ध में चयन समिति द्वारा सही निर्णय लिया जा सके।

4– ऐसे कर्मियों की सूची तैयार कर लें जिनकी चरित्र पंजिका जनपद में प्राप्त नही है अथवा खो गई है और डुप्लीकेट चरित्र पंजिका तैयार की जा रही है या डुप्लीकेट चरित्र पंजिका तैयार की गई हो। इस कम में सुनिश्चित कर लिया जाय कि डुप्लीकेट चरित्र पंजिका में सम्बन्धित कर्मी के वर्ष 1990 से अब तक के सभी वार्षिक मन्तव्य, दीर्घ, लघु अथवा छुद्र दण्डों सहित अपराध, निलम्बन तथा सेवा की निरन्तरता का उल्लेख कर दिया गया है । दण्डों के सम्बन्ध में की गई अपील तथा रिवीजन की अद्यावधिक स्थिति भी स्पष्ट की जाय । **इस कार्य का अनुश्रवण प्रतिदिन जनपदीय/इकाई प्रभारी द्वारा किया जाय तथा समस्त अपेक्षित कार्यवाही 15 सितम्बर, 2013 तक पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय** ।

– राज्याधीन सरकारी सेवा में सेवारत कार्मिकों की प्रोन्नतियों के लिए होने वाले चुनावों में बन्द लिफाफे की कार्यवाही विषयक शासनादेश संख्या–13/21/89–का–1–1997 दिनांक 28–05–1997 के खण्ड–2 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित परिस्थितियों की स्पष्ट सूचना उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जारी प्रपत्र–3 मे अंकित किया जाये :–

1– यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है ।

2– यदि कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिए आरोप पत्र जारी किया जा चुका है ।

3–यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है ।

विदित हो कि अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस कर्मियों की चरित्र पंजिकाएं अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण होने के कारण प्रोन्नति प्रकिया बाधित होती है। अतः समस्त को निर्देशित किया जाता है कि उक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुये 1970 से ...7 भर्ती वर्ष तक के आरक्षियों की चरित्र पंजिकायें पूर्ण करा ली जाय तथा उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जारी प्रपत्र–3, में अति सावधानीपूर्वक समस्त सूचनायें ...

रूप से पूर्ण कराये जाने का व्यक्तिगत दायित्व जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक व इकाई/शाखा प्रभारी के साथ-साथ अपर पुलिस अधीक्षक, प्रभारी कार्यालय का होगा तथा इसमें किसी प्रकार की त्रुटि प्रकाश में आने पर संबंधित जनपद/इकाई के अपर पुलिस अधीक्षक प्रभारी कार्यालय के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। समस्त विभागाध्यक्ष, पुलिस महानिरीक्षक जोन एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्र अपने अधीनस्थ जनपदों/इकाईयों में इस कार्य की प्रगति को प्रत्येक सप्ताह अनुश्रवण करेंगे और इसको 30 सितम्बर 2013 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण करायेंगे।

(देवराज नागर) 298 / 13

पुलिस महानिदेशक,

उत्तर प्रदेश ।

प्रतिलिपि-कृपया निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही समयान्तर्गत सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रेषित है :-

1-पुलिस महानिदेशक,प्रशिक्षण, खाद्यय प्रकोष्ठ, आवास निगम, सहकारिता प्रकोष्ठ, रेलवे, मानवाधिकार, तकनीकी सेवायें, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,लखनऊ,उत्तर प्रदेश।

2-अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक, सीबीसीआईडी, यातायात, भ्रष्टाचार ,विशेष जॉच, पीसीएल, सतर्कता, सुरक्षा, उत्तर प्रदेश।

3-पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिदेशक के सहायक,उत्तर प्रदेश ।

4-पुलिस उपमहानिरीक्षक(स्थापना)उ0प्र0पुलिस मुख्यालय,इलाहाबाद।

31.8.13
निर्गत
मुख्यालय पुलिस महानिदेशक
उ0 प्र0 लख